





**फर्द अहकाम**  
अलादीन बनाम जकरुद्दीन को

मालय

पा 36/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.6.18	<p>पत्रावली दिनांक 25.5.18 को पेश है</p> <p>पत्रावली कुम्प नाम आपने द्वारा ताला में पेश हुई। अर्थात् अर्थात् 9 गरीब 10 अर्थात् को उपस्थित मोक्ष अर्थात् उपस्थित नहीं होने कि गरीबों से कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली आदेशा दिनांक 9.8.18 को पेश है</p>	  <p>मि. अमीन 20/8</p>
9.8.18	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब लम्बस्त होने के कारण दिनांक 20.8.18 को पेश है</p>	 <p>मि. अलादीन</p>
20.8.18	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब चुनाव कार्य में लम्बस्त होने के कारण दिनांक 29.11.2019 को पेश है</p>	
8-1-19	<p>आज्ञा दिनांक को अर्थात् अलादीन को और से एक आं. पत्र विशेष का पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। अर्थात् स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान वही के अधिवक्ता गुणपेन्द्र शर्मा ने की है। अस्तु पत्र में अर्थात् अलादीन को</p>	 <p>26</p> <p>20/1/19</p>

P.T.O.

2017/00003  
फर्द अहकाम

बनाम फकरुद्दीन

अलादीन

नाम न्यायालय

केस संख्या 36/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>दस्तावेज को छोड़ने का नतीजा यह है कि इसी से न्यायालय को पता चले कि वादी की वकालत पुनः प्रजापती का अधिवक्ता बरमे पर प्रत्येक वाद को विशेष करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रत्येक वाद को खारिज किया जाता है। प्रजापती केवल मुकदमे होने तक से कम होना चाहिए दाखिल दस्तावेज</p>

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

